कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/709/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2021 रायपुर, दिनांक 11/06/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 661/अ.जि.द/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

वर्तमान में कोविड–19 प्रकरणों में लगातार कमी होने के फलस्वरुप सार्वजनिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 661/अ.जि.द/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 31.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, **सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर** निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. **निम्नलिखित गतिविधियॉ आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–**
   i. **सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़–भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।**
   ii. **स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी।**
   iii. **सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।**
   iv. **चौपाटी जैसे स्थल नही खुलेगें।**
2. **कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो–रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 7.00 बजे तक खोले जा सकेगें।**
3. होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल/रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक–अवे को प्राथमिकता देगें। क्लब–रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन–हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

4. वैवाहिक कार्यक्रम निवास–गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हॉल में **किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें**, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

5. **छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ 1–2/2020/1–5 दिनांक 11.06.2021 अनुसार सभी कार्यालयों में दिनांक 14.06.2021 (दिन–सोमवार) से सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड–19 के लिए निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है।**

6. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

7. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

8. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़–भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

9. सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच कराना आवश्यक होगासाथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. **प्रतिदिन शाम 07.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।**

11. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

12. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

13. आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रुप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

14. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान/मॉल /हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़–भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेंगा।

15. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।

16. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

रायपुर, दिनांक 11/06/2021

पृ.कमांक/709 A/एस. डब्ल्यू./2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर/बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत इस आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु नियमित रुप से मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) रायपुर/आरंग/अभनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। रायपुर जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
11. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. खाद्य नियंत्रक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप पंजीयक, समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. समस्त कार्यालय प्रमुख .... जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. .... समस्त आम जनता, जिला रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर